

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/23/2016/19/यो 5371
प्रति,

भोपाल दिनांक 26/05/2016

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 63वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 23.08.2016 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति, 63वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यो की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

| क्र. | जिला | मांग संख्या | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी. में) | लागत (रु० लाख में) |
|------|--------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | खण्डवा | 24/5054 | हनुमंतिया से धारकवाड़ी गुलगांव रैयत जामकोटा बांगरदा मार्ग। | 16.20 | 2559.19 |
| 2 | दतिया | 64/5054 | दतिया उन्नाव झॉसी बार्डर मार्ग। | 16.76 | 1669.58 |

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 64/5054 योजना मद के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्राक्कलनित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-02 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Prakash
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 26/9/2016
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 26/09/2016

पृ० कमाक एफ-43/23/2016/19/यो 5372
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि०) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
2. मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
3. निज सचिव, मान० मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल कमां क 3 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

सहपत्र:- शून्य

Prakash
सचिव 26/9/16
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/23/2016/19/यो - 6853
प्रति,

भोपाल दिनांक 9/12/2016

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 63वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 23.08.2016 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 63वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यो की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

| क्र. | जिला | मांग संख्या | कार्य का नाम | लंबाई (कि.मी. में) | लागत (रु0 लाख में) |
|------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | धार | 42/5054 | लबरावदा गरडावदा बिलोदा तीसगांव खेरोद मार्ग। | 18.00 | 1345.99 |
| 2 | सागर | 24/5054 | जमुनिया कनेरा बुडोन हनुमत पहाड़ी कुमरोल पिपरिया बसियास गोंडा मार्ग। | 21.00 | 1347.39 |

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 योजना मद के अंतर्गत उपलब्ध राशि से संपन्न कराये जावे। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-02 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 9/12/16
सचिव

पृ.क्र. योजना/प्रशा.स्वीकृति/संवार/12/4369
प्रतिलिपित:-

भोपाल दिनांक 9/12/16

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र पश्चिम इंदौर/संवार
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग संवार संवार
- 4 की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित
- 5 नावार्ड शाखा
- 6 बजट शाखा

मुद्रा/संकेत/दिनांक/प
लोक निर्माण विभाग भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/23/2016/19/यो 5366
प्रति,

भोपाल दिनांक 26/09/2016

प्रबंध संचालक
म0प्र0 सड़क विकास निगम
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 63वीं बैठक।
(विदिशा कुरवाई मार्ग के कि0मी0 6/2 बेतवा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 23.08.2016 को संपन्न अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय व्यय समिति की 63वीं बैठक के अनुमोदन अनुसार विदिशा कुरवाई मार्ग के कि0मी0 6/2 बेतवा नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु जिसकी लागत रू0 2493.94 लाख (रू0 चौबीस करोड़ तिरानवे लाख चौरानवे हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाइट पर डाला जाय।

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 26/09/2016

पू0 कमाक एफ-43/23/2016/19/यो 5367
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।
 2. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ (केवल कमांक 2 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

SR Bhandari
26/9/16

PAU/ME/F.C-A/2016-17/11/16

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग